



कार्यालय प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा।

Phone No: 0562-2260353, 2463880 Fax No: 0562-2260965

Website: www.snmcagra.in E-Mail: deansnmc@yahoo.in

संख्या: ई0सी0-1/2025/126

दिनांक: 19/04/2025

—सेवायोजन विज्ञप्ति—

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में संचालित नर्सिंग कालेज में निम्नलिखित रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 11.04.2025 को साक्षात्कार (वॉक-इन-इन्टरव्यू) का आयोजन किया गया था, परन्तु विभिन्न श्रेणियों में अभ्यर्थियों की संख्या कम तथा योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण उक्त साक्षात्कार दिनांक 11.04.2025 को निरस्त करते हुए, पुनः नर्सिंग शिक्षकों के समस्त रिक्त पदों को भरने हेतु साक्षात्कार की कार्यवाही दिनांक 02.05.2025 (शुक्रवार) को 11 बजे से 04 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में संपन्न होगी। उक्त पदों के लिए आयु, मानदेय आदि का विवरण निम्नवत है—

रिक्त पदों का विवरण

College of Nursing	Professor				Associate Professor				Tutor			
	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
TOTAL	-	-	-	-	-	-	01	-	-	02	01	01

उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों पर समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है। पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।


शैक्षणिक अर्हता/अनुभव—

S.N.	Post Name	Qualification & Experience
1	Associate Professor	Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: Total 08 years experience with M. Sc. (Nursing) including 05 years teaching experience, Ph.D. (Nursing) is desirable
2	Tutor	M.Sc. (Nursing) Preferable, Experience-B.Sc. (Nursing)/P.B.B.Sc. (Nursing) with 01 Year experience

आवेदन शुल्क— अभ्यर्थियों को ₹0-2000/- आवेदन शुल्क डी0डी0 के रूप में जमा करना होगा, जो प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नाम से देय होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया शुल्क मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पृथक-पृथक आवेदन प्रपत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क देना होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं—

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्या: 57/2022/I/156557/71-1005(001)/20/2021, दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं किए जायेंगे।
- संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकगण यथा वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर को ₹0 1,20,000/-, प्रोफेसर को ₹0 1,00,000/-, एसोसिएट प्रोफेसर को ₹0 80,000/-, असिस्टेंट प्रोफेसर को ₹0 70,000/- तथा ट्यूटर को ₹0 45,000/- का नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।
- संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
- नर्सिंग शिक्षकों की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी, किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
- संविदा कर्मियों को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होंगे।
- यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- नर्सिंग शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित नर्सिंग शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा को पुनः 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।


(प्रधानाचार्य)
स.ना.मे.कॉ. आगरा

10. संविदा पर नियुक्त नर्सिंग शिक्षकों को आदेश जारी होने के 01 माह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
12. संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
13. संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।
14. प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं ट्यूटर के पदों पर "Walk-in-Interview" के माध्यम से चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
15. साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्व प्रमाणित (Self Attested) छायाति एवं फोटो अवश्य लाये।
16. साक्षर लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को यात्रा भात्ता आदि देय नहीं होगा।
17. सरकार/आई०एन०सी० के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।
18. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मान्य ही स्वीकार होगा।
19. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति (OBC/SC) प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के पश्चात का ही मान्य होगा।
20. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुभूतिनातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार को अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप आकाल अनुमन्य होगा।
21. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
22. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "उनके विरुद्ध माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी"।
23. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से सम्बन्धित विशिष्टता हेतु अपने शैक्षणिक प्रपत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.04.2025 तक व्यक्तिगत रूप/पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
24. पद रिक्त होने पर माह के प्रथम शुक्रवार को साक्षात्कार किया जाएगा।

(प्रधानाचार्य)

एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।

संख्या एवं दिनांक तद

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उत्तर प्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/प्रयागराज/झॉसी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर/कन्नौज/आजमगढ़/जालौन/सहारनपुर/बौदा/बदौयू।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराईच/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/प्रतापगढ़/ एटा/मिर्जापुर/सिद्धार्थनगर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर।
6. प्रधानाचार्या, कॉलेज, ऑफ नर्सिंग, एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा।
7. डा० टी०पी० सिंह, उप-प्रधानाचार्य, एस०एन०मेडिकल कालेज, आगरा।
8. एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के नोटिस बोर्ड हेतु।
9. सम्बन्धित अधिकारी, वेबसाइट, एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा।

(प्रधानाचार्य)

एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।